

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार के चयन हेतु मानदण्ड

1. राज्य सरकारों, केन्द्र सरकार, निजी संस्थानों/मिशनरियों और सम्बन्धित राज्यों के प्रमुख स्वैच्छिक संस्थाओं से नामांकन मांगे जाने चाहिए।
2. सभी नामांकनों का नियन्त्रण सम्बन्धित राज्य के सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा किया जाना चाहिए।
3. सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) की अध्यक्षता वाली राज्य चयन समिति द्वारा चयन के बाद निरपवाद अनुशंसित पुरस्कार नामितों के आवेदनों को ही भेजा जाना चाहिए।
4. (क) किसी भी परिस्थिति में राज्य चयन समिति के विचार और अनुशंसा के बिना कोई भी नामांकन नहीं भेजा जाना चाहिए। अगर नामांकन बिना अनुशंसा के प्राप्त होता है तो उस पर केन्द्रीय चयन समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।
(ख) **अनुभव:** किसी भी एक क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव, असाधारण प्रदर्शन की दशा में उम्र की कोई बाधा नहीं होगी।
5. एक राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार के लिए चुने गए नर्स को चयन समिति की सन्तुष्टि के लिए सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिससे यह साबित हो सके कि उसने निम्नलिखित मानदण्डों में से कम से कम एक या अधिक के अनुसार समकक्ष गुणों वाले अन्य लोगों की तुलना में नौकरी की सामान्य उम्मीद से परे प्रदर्शन किया है। नामितों का संक्षिप्त विवरण (रिज्यूम) तैयार करने के लिए निर्देश अनुबन्ध-III में दिए गए हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए :-

नर्सिंग सेवा, अस्पताल और समुदाय

- 6 (i) अस्पताल या समुदाय में उसकी नियमित नौकरी में नर्स, नौकरी कार्यों की सीमाओं से अधिक कार्य करके रोगी/परिवार की समुदायिक देखभाल में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त योगदान देता/देती है, जैसे कि :-
 - (क) अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाकर, कर्मचारी विकसित कर, आपूर्ति और संसाधनों की खरीद कर, तकनीक को सरल बनाकर और चिकित्सकीय समुदाय में नियोजक संस्था को सम्मान दिलाने के लिए पर्याप्त दल भावना (एस्प्रिट डे कॉरप्स) बनाए रखकर एक ऐसी जिम्मेदार इकाई या संस्था का विकास करना जो कि रोगियों की असाधारण देखभाल करती हो।
 - (ख) अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाकर, कर्मचारी विकसित कर, आपूर्ति और संसाधनों की खरीद कर, तकनीक को सरल बनाकर और चिकित्सकीय समुदाय में नियोजक संस्था को सम्मान दिलाने के लिए पर्याप्त दल भावना (एस्प्रिट डे कॉरप्स) बनाए रखकर एक ऐसे समुदाय या सामुदायिक समूह का विकास करना जिससे उनकी सामूहिक स्वास्थ्य परिस्थितियों में सुधार आता हो।

- 6 (ii) कोई नर्स जो नियमित नौकरी कर रही/रहा हो लेकिन दुर्घटना, अग्नि, बाढ़ या अकाल जैसी आपात स्थिति के समय, जो किसी भी समय हो सकती है, वह अपने समय, सुरक्षा और/या सम्पत्ति के बारे में न सोचकर वीरतापूर्वक दूसरों की सहायता करता/करती हो, जैसे कि :-
- (क) खतरनाक परिस्थिति में से किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को बचाना।
- (ख) सफल परिणाम के साथ जीवन रक्षक तकनीक का प्रदर्शन करना।
- (ग) आग लगने की दशा, खतरे की जगह से बाहर निकालने, और भीड़ नियन्त्रण जैसी परिस्थिति में बिना आधिकारिक मंजूरी के की गई पहल या नेतृत्व द्वारा तबाही की रोकथाम करना।
- (घ) किसी गम्भीर त्रासदा के बाद प्रतिकूल परिस्थितियों में अत्यधिक समय तक उपस्थित रहकर, आपात स्थिति में आवश्यक गतिविधियों जैसे संचार, खाद्य सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा, निकासी इत्यादि, की व्यवस्था कर सामूहिक समुदाय की सहायता करना।
6. (iii) अस्पताल/समुदाय में नियमित नौकरी करने वाले नर्स जो :-
- (क) कुष्ठरोग नियन्त्रण, क्षय रोग, एचआईवी एड्स, कैंसर की देखभाल, उपशामक देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, अन्य संचारी और गैर-संचारी रोग, मनश्चिकित्सीय मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धावस्था प्रबन्धन, शारीरिक रूप से मानसिक मन्द बुद्धि वाले एवं सुविधाओं से वंचित विशेष बच्चों की सहायता जैसी गतिविधियों या कार्यक्रमों में विशेष रूप से योगदान दिया हो, और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम में योगदान दिया हो।
- (ख) आदिवासी और अन्य आन्तरिक दूरस्थ क्षेत्र जैसे मुश्किल क्षेत्रों में कार्य करना।

नर्सिंग शिक्षा

7. शैक्षिक संस्था में अपनी नियमित नौकरी करते हुए नर्स नौकरी की उम्मीदों से परे शिक्षा की गुणवत्ता या परिमाण बढ़ाने में योगदान देता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :-
- (क) ऐसे उन्नत अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा ऐसी शिक्षण सामग्री का विकास या आरम्भ करना, जो उस संस्था को सम्मान दिलाता हो जहाँ वह कार्यरत है।
- (ख) ऐसा पाठ्यपुस्तक, शिक्षण मैनुअल या शैक्षिक फिल्म तैयार करना, जिसे उसकी अपनी शैक्षिक संस्था से परे स्वीकार किया जाता हो या इस्तेमाल की जाती हो और जो उस संस्था को सम्मान दिलाती हो जहाँ वह कार्यरत है।
- (ग) शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की दिशा में अनुसन्धान गतिविधियों/लेखों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/प्रकाशनों में योगदान करना।

नर्सिंग प्रशासन

8. अस्पताल/समुदाय/शैक्षणिक संस्थानों/कोई अन्य एजेंसी/नर्सिंग क्षेत्र के किसी विभाग के मुखिया के पद पर प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत नर्स।

विशेषतः—

(क) अस्पताल में रोगियों की देखभाल के स्तर में सुधार हेतु योगदान।

या

(ख) सामुदायिक परिस्थितियों और सामुदायिक कल्याण हेतु किए गए सुधार।

या

(ग) शैक्षणिक संस्थान में शैक्षिक मानकों को बेहतर बनाने में योगदान।

या

(घ) प्रशासनिक व्यवस्था में किए गए उन्नत परिवर्तन।

राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार के लिए आवेदन पत्र

यहाँ अपनी
नवीनतम फोटो
चिपकायें

1. नाम (बड़े अक्षरों में) _____
2. जन्म तिथि के साथ आयु
(ईस्वी सन् के अनुसार) _____
3. पिता/पति का नाम _____
4. पत्रव्यवहार के लिए पूर्ण वर्तमान पता
(पिन कोड के साथ) _____

- 4.1 दूरभाष नम्बर (निवास) _____
- 4.2 मोबाइल नम्बर _____
- 4.3 ई-मेल पता, अगर कोई है _____
5. पूर्ण स्थायी पता
(पिन कोड के साथ) _____

- 5.1 दूरभाष नम्बर (निवास) _____
6. जहाँ कार्यरत हैं उस अस्पताल/
संस्थान का नाम और पूरा पता _____

- 6.1 दूरभाष नम्बर (कार्यालय) _____
- 6.2 ई-मेल पता, अगर कोई है _____
7. वर्तमान पदनाम _____

8. यदि सेवानिवृत्त हो तो, सेवानिवृत्ति की तिथि, यदि लागू हो _____
9. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम, यदि लागू हो _____
10. नर्सिंग सेवाओं में अनुभव का विवरण _____

11. शैक्षिक योग्यतायें	पाठ्यक्रम	वर्ष जिसमें उत्तीर्ण किया गया	संस्थान का नाम	परीक्षा बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम
	एएनएम/एलएचवी			
	जीएनएम			
	बीएससी (एन)			
	एमएससी (एन)			
	पीएचडी (एन)			

12. व्यावसायिक संस्था/संस्थाओं की सदस्यता (सदस्यता संख्या के साथ) _____

13. कोई अन्य जानकारी _____

14. अनुलग्नक-III के अनुरूप आवेदक का संक्षिप्त विवरण (रिज्यूम)

आवेदक के हस्ताक्षर _____

नर्सिंग अधीक्षक/प्रधानाचार्य/जिला चिकित्सा अधिकारी/जिला लोक स्वास्थ्य नर्सिंग अधिकारी आदि द्वारा अनुशंसित

स्थान एवं तिथि:

हस्ताक्षर _____

सील

सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (पुरस्कार हेतु राज्य/केन्द्रीय चयन समिति) द्वारा अग्रेषित किया गया।

राज्य उपचर्या परिषदों के रजिस्ट्रार/टीएनएआई राजकीय सचिवालय के स्व-नामांकन हेतु।

स्थान एवं तिथि:

हस्ताक्षर _____

संलग्नक: यदि लागू हो तो समर्थन पत्र

राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगल नर्स पुरस्कार

पुरस्कार के लिए नामित का संक्षिप्त विवरण (रिज्यूम) तैयार करने हेतु दिशानिर्देश

1. उस श्रेणी का उल्लेख करें जिसके अन्तर्गत नर्स को नामांकित किया गया है।
2. श्रेणी के लिए :-
 - (क) कार्यक्रम/घटना के समय, स्थान, परिस्थितियों, किए गए कार्य और वृत्तान्त की मान्यता का विवरण दिया जाना चाहिए, जिससे यह दर्शित हो कि व्यक्ति नामांकन के लिए आवश्यक सभी मानदण्डों को पूरा करता/करती है। अखबारों में छपे लेख, जर्नल में छपे लेख, प्रशस्ति पत्र और अन्य दस्तावेजों, जो उम्मीदवार के आवेदन को मजबूती प्रदान करते हैं, को भी भेजा जा सकता है।
 - (ख) मानदण्डों के अनुसार विस्तृत विवरण।
3. उम्मीदवार के संक्षिप्त विवरण (रिज्यूम) में उत्कृष्ट प्रदर्शन या ऐसे प्रदर्शन का विवरण अवश्य होना चाहिए जो हर सन्तोषजनक कर्मचारी के लिए सामान्य अपेक्षाओं से परे है (आमतौर पर प्रत्येक कर्मचारी से उसके कर्तव्यों में समय पर कार्य-स्थल पर रिपोर्ट करने, सौंपे गए कार्य हेतु रिपोर्ट करने, स्वच्छ रहने, विनम्र रहने, और नियोक्ता के प्रति वफादार रहने, की अपेक्षा की जाती है। आमतौर पर प्रत्येक कर्मचारी से अपनी पद स्थिति के अनुसार तैयार रहने और स्व-अध्ययन या सेवा में भागीदारी या आत्म-अध्ययन या सेवा या औपचारिक निरन्तर शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से अपनी निरन्तर शिक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी समझने की अपेक्षा की जाती है। यह उम्मीद की जाती है कि नर्स नर्सिंग देखभाल और नर्सिंग शिक्षा में सुधार के लिए टीम के एक सदस्य के रूप में काम करेगा/करेगी।
4. व्यक्ति की पूर्व शिक्षा और अनुभव को भी उल्लिखित किया जा सकता है लेकिन नामांकित व्यक्ति के चयन में इसका कोई योगदान नहीं होगा। (समिति द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन की तलाश की जाती है जो पूर्व शिक्षा और अनुभव के कारण या इसके बिना भी हो सकता है)।
5. केवल शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्राप्त विशिष्टताओं की सूची को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पूर्व में कई उत्कृष्ट कार्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जो शैक्षिक दृष्टि से उत्कृष्ट नहीं थे। उत्कृष्ट प्रदर्शन या योगदान का समर्थन करने वाले सम्मान पत्र और पुरस्कारों को संलग्न किया जाना चाहिए।
6. नामांकित व्यक्ति का संक्षिप्त विवरण (रिज्यूम) दो पृष्ठों से अधिक नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार-2018 के लिए राज्य/केन्द्रीय चयन समिति की संरचना

राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु राज्य/संघ शासित क्षेत्र के उम्मीदवारों के आवेदन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कार्यालय के मुख्य नर्स अर्थात् सहायक निदेशक (नर्सिंग)/उप-निदेशक (नर्सिंग) द्वारा बुलाए जाएंगे। राज्य/संघ शासित क्षेत्र की चयन समिति आवेदनों की जाँच करेगी और केन्द्रीय चयन समिति को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार के लिए नामांकित उम्मीदवारों की अनुशंसा करेगी।

राज्य स्तरीय चयन समिति की संरचना इस प्रकार होगी :-

- | | | |
|---|---|------------|
| 1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | — | अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, स्वास्थ्य सेवा/ निदेशक, चिकित्सा शिक्षा | — | सदस्य |
| 3. रजिस्ट्रार/प्रतिनिधि, राज्य उपचर्या परिषद् | — | सदस्य |
| 4. अध्यक्ष/सचिव, टी.एन.ए.आई. (राज्य शाखा) | — | सदस्य |
| 5. स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कार्यालय में मुख्य नर्स सहायक निदेशक (नर्सिंग)/उप-निदेशक (नर्सिंग) | — | सदस्य सचिव |

केन्द्रीय चयन समिति

भारतीय उपचर्या परिषद् के तहत गठित केन्द्रीय चयन समिति जो राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के आवेदनों की जाँच करेगी, में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित होंगे :-

केन्द्रीय चयन समिति की संरचना इस प्रकार होगी :-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. गोपाल गोड़ा
पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय | — | अध्यक्ष |
| 2. अध्यक्ष, भारतीय उपचर्या परिषद् | — | सदस्य |
| 3. उपमहानिदेशक (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय | — | सदस्य |
| 4. निदेशक (नर्सिंग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय | — | सदस्य |
| 5. महासचिव, ए.आई.जी.एन.एफ., नई दिल्ली | — | सदस्य |
| 6. प्रधानाचार्य, आर.ए.के. नई दिल्ली | — | सदस्य |

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवौं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट न. 2, कम्युनिटी
सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre
Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

एफ सं. 22-15/2018-आई.एन.सी.

अत्यन्त तात्कालिक

दिनांक 08-01-2018

सेवा में,

सचिव (स्वास्थ्य)

भारत के सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश

विषय:- राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार वर्ष 2018 के लिए नामांकन आमन्त्रित करने हेतु

प्रिय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार देश में नर्सों और नर्सिंग कर्मियों द्वारा प्रदान की गई सराहनीय सेवाओं हेतु सम्मान के चिन्ह के रूप में दिए जाते हैं। यह पुरस्कार प्रति वर्ष 12 मई को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, क्योंकि 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयन्ती के अवसर पर दुनिया भर में "अन्तर्राष्ट्रीय नर्स दिवस" के रूप में मनाया जाता है। अगला पुरस्कार समारोह 12 मई 2018 को आयोजित किया जाएगा।

उपरोक्त सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है, कि **राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2018** के आयोजन से सम्बन्धित कार्य अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के उपचर्या अनुभाग द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद् को हस्तान्तरित कर दिया गया है और इस सम्बन्ध में आगे के सभी पत्राचार अब भारतीय उपचर्या परिषद् को ही सम्बोधित किए जाने हैं। इसके अलावा यह भी सूचित किया जाता है, कि पुरस्कार के लिए नामांकन की जाँच भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति श्री गोपाल गोड़ा की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की जाएगी।

यह पुरस्कार केन्द्रीय, राज्य/संघ शासित प्रदेशों, निजी, मिशनरी और स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में पचास हजार रुपये (₹. 50,000/-) नकद, एक प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किए जाते हैं। राजकीय, केन्द्रीय, स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत नर्सिंग कर्मियों के अलावा निजी, मिशनरी और स्वैच्छिक संस्थाओं में कार्यरत नर्सिंग कर्मी भी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार के लिए पात्र हैं और उनके आवेदनों को भी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य स्तरीय चयन समिति में विचार करने के बाद अग्रेषित किया जा सकता है, बशर्ते वे सभी अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

चयन मानदण्ड, आवेदन पत्र, नामांकित व्यक्ति का संक्षिप्त विवरण (रिज्यूम) तैयार करने हेतु दिशानिर्देश, राज्य स्तरीय चयन समिति की संरचना और नामांकित व्यक्तियों के पुरस्कार हेतु चयन प्रक्रिया अनुलग्नक-I से अनुलग्नक-IV में संलग्न हैं। नामांकन की सूची सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा की जाएगी, जैसा कि अनुलग्नक-IV में दर्शाया गया है।

1

भारतीय उपचर्या परिषद्

आठवौं तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लॉट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज-1, नई दिल्ली - 110020



INDIAN NURSING COUNCIL

8th Floor, NBCC Centre, Plot No. 2, Community Centre Okhla Phase-I, New Delhi - 110020

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

एफ सं. 22-15/2018-आई.एन.सी.

शुद्धिपत्र

दिनांक 17 JAN 2018

सेवा में,

सचिव (स्वास्थ्य)

भारत के सभी राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश

विषय: राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार वर्ष 2018 की केन्द्रीय चयन समिति और पैनल में स्कूल हेल्थ नर्स और पब्लिक हेल्थ नर्स सम्मिलित करने के सम्बन्ध में शुद्धिपत्र

प्रिय महोदय/महोदया,

यह शुद्धिपत्र राष्ट्रीय फ्लोरेस नाइटिंगेल नर्स पुरस्कार 2018 के लिए नामांकन आमन्त्रित करने के सम्बन्ध में भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा दिनांक 08-01-2018 को जारी पत्रांक 22-15/2018-आई.एन.सी. की निरन्तरता में है। गलती से, क्रम संख्या 5 पर अध्यक्ष, टी.एन.ए.आई का नाम केन्द्रीय चयन समिति के सदस्यों की सूची में डालने से रह गया था। आगे यह अनुरोध किया जाता है कि पैनल को अन्तिम रूप देते समय पैनल में स्कूल हेल्थ नर्सों और पब्लिक हेल्थ नर्सों के प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया गया। तदनुसार केन्द्रीय चयन समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. गोपाल गोड़ा
पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय | - | अध्यक्ष |
| 2. | अध्यक्ष, भारतीय उपचर्या परिषद् | - | सदस्य |
| 3. | उपमहानिदेशक (स्वास्थ्य), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय | - | सदस्य |
| 4. | निदेशक (नर्सिंग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय | - | सदस्य |
| 5. | अध्यक्ष, टी.एन.ए.आई. | - | सदस्य |
| 6. | महासचिव, ए.आई.जी.एन.एफ., नई दिल्ली | - | सदस्य |
| 7. | प्रधानाचार्य, आर.ए.के. नई दिल्ली | - | सदस्य |

आपका आभारी,

टी. दिलीप कुमार
(टी. दिलीप कुमार)
अध्यक्ष

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत सांविधिक निकाय
Statutory Body under the Ministry of Health & Family Welfare

आपसे अपने राज्य से प्रत्येक श्रेणी अर्थात नर्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य आगन्तुक (लेडी हेल्थ विजिटर्स) के लिए कम से कम तीन नामों के पैनल का सुझाव भेजने का अनुरोध किया जाता है।


उपरोक्त चयन प्रक्रिया को पूरा करने के पश्चात, पुरस्कार के लिए नामांकित उम्मीदवारों के नामों को उनके दावों के समर्थन हेतु दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अध्यक्ष, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वीं मंजिल, एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट नं. 2, सामुदायिक केन्द्र, ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020 (दूरभाष नम्बर 011-26819152), को दिनांक 31 मार्च, 2018 से पहले भेजा जाना चाहिए।

नामांकन अग्रपिठ करते समय आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए अनुरोध किया जाता है:-

1. राज्य में सभी सम्बन्धित हितधारकों को आवश्यक परिपत्र जारी करके और राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर संलग्न दस्तावेजों को अपलोड करके विस्तृत प्रचार किया जाना चाहिए।
2. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सरकारी संस्थानों के अलावा निजी और मिशनरी संस्थानों से भी नामांकन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हों।
3. राज्य स्तरीय ट्रेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (टीएनएआई) एवं अन्य समितियों/संघटनों के प्रतिनिधियों को भी चयन समिति में शामिल किया जाना चाहिए।
4. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नामों के पैनल में तीनों श्रेणियों अर्थात नर्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य आगन्तुक (लेडी हेल्थ विजिटर्स) में से प्रत्येक के नाम शामिल होने चाहिए।
5. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल ऐसे उम्मीदवारों को नामित किया जाए जो उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के मानदण्डों को पूरा करते हैं और उसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत भी हों। सभी नामांकन राज्य स्तरीय चयन समिति की बैठक से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति भेजने का कष्ट करें।

आपका आभारी,



(टी. दिलीप कुमार)

अध्यक्ष

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

2